राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)
E mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com website: www. rlsa.gov.in

क्रमांकः– F-2(93)/RSLSA/DS-I/JJB Panel Adv./187 दिनांक :–01.04.2021

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक 362 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 में संशोधित अधिसूचना (F.No. L/61/10/NALSA dated 22.10.2018) विनियम, 2018 के विनियम 8 के खंड 7 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, पोक्सो न्यायालय हेतु बालकों के लिए 63 न्यायमित्र दिनांक 31.03.2021 तक नियुक्त किये गये थे।

अतः राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, पोक्सो न्यायालय हेतु निम्नांकित पैनल अधिवक्तागण को उनकी कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बालकों हेतु न्यायमित्र के रूप में इनका कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

क्र. सं.	जिले का नाम	अधिवक्ता का नाम
1	राजसमन्द	श्री नरेन्द्र कुमार पालीवाल
2	सिरोही	सुश्री मिनाक्षी गौतम
3	प्रतापगढ	श्री रमेश चन्द्र शर्मा
4	जालौर	श्री जगदीश गोदारा
5	जैसलमेर	श्री गिरिराज पुरोहित
6	बांसवाडा	श्री उमेश दोसी
7	करौली	श्री पियुष कुमार शर्मा
8	टोंक	श्री अजय सिंह सोलंकी
9	डूंगरपुर	श्री मगन लाल परमार
10	चूरू	श्री संजीव कुमार वर्मा श्री अखतर रसूल
11	झुंझुनूं	श्री धीरज कुमार बोयल श्री बाबुलाल सैनी
12	हनुमानगढ़	श्री अमित मदान श्री रामनाथ भाटी
13	मेडता	श्री ओम प्रकाश पुरोहित श्री जगदीश सिंह
14	सवाई माधोपुर	श्री हरि मोहन जाट श्री हनुमान प्रसाद गुर्जर
15	सीकर	श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड श्री महेश कुमार पटेल
16	अजमेर	श्री एस0 के0 गोयल श्रीमती मीनू अग्रवाल
17	बून्दी	श्री अमर सिंह राठौड श्री शफा उल हक
18	धौलपुर	श्री सर्वेश मिश्रा श्री रामअवतार
19	पाली	श्री सुधीर कंकानी श्री खुमाराम परिहार
20	झालावाड	श्री रमेश चंद्र कश्यप श्री भुपेन्द्र शेखावत
21	दौसा	श्री जितेन्द्र कुमार मुदगल श्री रूप नारायण मीणा
22	भीलवाडा	श्री राकेश त्रिपाठी
23	श्री गंगानगर	श्री अनिल कुमार विश्नोई श्री सुभाष कुमार
24	चित्तौडगढ़	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड

01.4.21

		श्रीमती सीमा भारती गोस्वामी
25	कोटा	श्री ब्रिजेश जोशी
		श्री महेन्द्र सिंह हाडा
26	बारां	श्री कमलेश दुबे
		श्री बाल मुकुन्द गुर्जर
27	बीकानेर	श्री मनोज कुमार जनागल
28	जोधपुर महानगर	श्री वीरेन्द्र कुम्भट
		श्रीमती मंजु चौधरी
		श्रीमती आसमीन बानों
29	बलोतरा	श्री श्रवण कुमार चौधरी
		श्री प्रताप सिंह राठौड
30	उदयपुर	श्री संदीप दाधीच
31	अलवर	श्री मुकेश गौड
		श्री चन्द्र शेखर शर्मा
		श्री रविन्द्र सिंह सैनी
		श्री पंकज यादव
32	जयपुर जिला	श्री गणेश नारायण जोशी
		श्री विलियम पाठक
		श्री राकेश कुमार वर्मा
		श्री प्रभा अग्रवाल
33	भरतपुर	श्री रिपुदमन सिंह
		श्री महेश चंद्र सोगरवाल
34	जयपुर महानगर – I	सुश्री बिन्दु वर्मा
		श्री नेमुद्दीन आकिल
		श्री महेन्द्र कुमार बुनकर
		श्री विनोद कुमार
कुल		63

शर्तें :–

1. जहाँ जे.जे.बी में 150 से कम मामले हैं व जे.जे.बी. की बैठक सप्ताह में एक दिन की है वहां 1500/– रूपए प्रतिदिन प्रति अधिवक्ता मानदेय दिया जावेगा।
2. ऐसे जिले जिनमें जे.जे.बी. की बैठक सप्ताह में 06 दिन की है इसीलिए 15000/–रूपए प्रतिमाह प्रति अधिवक्ता को मानदेय दिया जावेगा। यदि कोई अधिवक्ता उक्त बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके मानदेय का निर्धारण अवकाश के दिनों को घटाते हुए आनुपातिक रूप से किया जावेगा। अधिवक्ताओं के मध्य कुल लम्बित जांचों को समान रूप से आवंटित किया जावेगा, ताकि अधिवक्ताओं के मध्य कार्य का विभाजन समान रूप से हो सके।
3. इसी तरह जिन जिलों में 150 से अधिक मामले, परन्तु 450 से कम है व जे.जे.बी. की बैठक सप्ताह में दो दिन की है वहाँ 1500/–रूपए प्रतिदिन प्रति अधिवक्ता के मानदेय दिया जावेगा। अधिवक्ताओं के मध्य कुल लम्बित जांचों को समान रूप से आवंटित किया जावेगा, ताकि अधिवक्ताओं के मध्य कार्य का विभाजन समान रूप से हो सके।
4. पैनलित अधिवक्ता निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम के अधीन विधि से संघर्षरत बालक (CICL)/पीडित (पोक्सो विशेष न्यायालय के समक्ष) की पैरवी करेगा, परन्तु वह किसी भी सी. आई.सी.एल./पीडित (पोक्सो विशेष न्यायालय के समक्ष) या उसके संबंधी से किसी प्रकरण का प्रतिकर/फीस/अन्य सामान प्राप्त नहीं करेगा।
5. उपरोक्त भुगतान के अतिरिक्त प्रत्येक पैनल अधिवक्ता को 1000/– रूपए प्रत्येक मामले में वाद खर्च के रूप में का भुगतान किया जावेगा। जब भी कोई नया केस दर्ज होता है तब प्रारंभिक अवस्था से निर्णय तक कार्यवाही करने हेतु मामला अधिवक्तागण को सूचीनुसार क्रमिक रूप से आवंटित किया जावेगा। उक्त पैनलित अधिवक्तागण को पोक्सो न्यायालय में भी सेवा देने हेतु अनुरोध किया जा सकता है। जिसे वे इन्कार नहीं कर सकते। यदि पैनल अधिवक्ता पोक्सो न्यायालय के समक्ष सक्रिय रूप से कार्यवाही करता है और उसकी उपस्थिति संबंधित न्यायालय द्वारा प्रमाणित की जाती है तो शिकायतकर्ता या पीडिता के परीक्षण के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए प्रति केस 1500/– रूपए मानदेय दिया जावेगा।
6. पोक्सो न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरणों में पीडिता व शिकायतकर्ता के परीक्षण के दौरान सहायतार्थ पैनल अधिवक्तागण की नियुक्ति संबंधित न्यायालय के समक्ष अनुरोध पर अथवा

01.4.21

पीडिता या उसके संबंधी द्वारा आवेदन पेश करने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जावेगी।

7. बाल कल्याण समिति द्वारा या उसके समक्ष किसी प्रकरण में सुनवाई पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उक्त में से किसी भी अधिवक्ता को सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता है, जो उपरोक्त के अतिरिक्त किसी दिन पैरवी होने पर उपरोक्त अनुसार मानदेय के अधिकारी होंगे।
8. किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति व पोक्सो न्यायालय हेतु पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, राजस्थांन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1999, नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) नालसा, विधिक सेवा क्लिनिक स्कीम 2010 का एवं अन्य निर्देश जो कि समय–समय पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए जावें उनका पालन करेंगे।
9. पैनलित किए गए अधिवक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक एवं उनके माता–पिता को विधिक प्रक्रिया से पूर्णतः अवगत करवा दिया गया है साथ ही वे प्रकरण की सुनवाई से पहले प्रकरण पर चर्चा करने के लिए विधिक सहायता प्रदान किए गए पक्षकार को पर्याप्त समय देंगे।
10. जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के लिए पैनल अधिवक्ता बालकों के हित को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे और किसी भी मामले में उपेक्षा पूर्वक कार्य नहीं करेंगे साथ ही अपनी तरफ से बालक के सर्वोत्तम हित व उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे।
11. किशोर न्याय बोर्ड के लिए पैनलित अधिवक्ता किशोर न्याय विधि पर अच्छी समझ विकसित करेंगे और किशोर न्याय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला व प्रशिक्षण में भाग लेंगे।
12. किशोर न्याय बोर्ड हेतु पैनलित अधिवक्ता यदि किसी भी दिन अवकाश पर है अथवा किसी कारणवश बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह जे.जे.बी. एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पूर्व में सूचित करेगा, ताकि उसकी अनुपस्थिति में उसे आवंटित मामले में अन्य अधिवक्ता को पैरवी करने हेतु संसूचित किया जा सके।
13. किशोर न्याय बोर्ड के लिए पैनलित अधिवक्ता बालकों एवं उनके परिवार में विधि एवं न्याय के प्रति विश्वास जागृत करेंगे और उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
14. पैनलित अधिवक्तागण संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आगामी माह के प्रथम सप्ताह में विगत माह में निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे साथ ही मामले की प्रगति से संबंधित बालक एवं उसके परिजनों को समय–समय पर अवगत कराएंगे। मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना पैनल से हटाए जाने का एक आधार होगा।
15. किशोर न्याय बोर्ड हेतु पैनलित अधिवक्तागण का चयन उनकी स्वयं की इच्छा से किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति व पोक्सो न्यायालय के समक्ष लाए जाने वाले बालकों के अधिकारों के संरक्षण व उनके कल्याण के उद्देश्य से किया गया है। पैनलित अधिवक्तागण प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले विधिक जागरूकता कार्यक्रमों प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों में नामित किए जाने पर भाग लेंगे, ताकि अधिवक्ताओं के कौशल व ज्ञान में वृद्धि हो सके और उन्हें कानूनी सेवा के कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया जा सके और उनकी विधिक जानकारी को अद्यतन बनाया जा सके।
16. किशोर न्याय बोर्ड हेतु पैनलित अधिवक्ता का विधिक सेवा लाभार्थी के प्रति यह कर्तव्य है कि वे पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करें। अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षावान रवैया प्रकरण की पैरवी से हटाए जाने सहित पैनल से हटाने के लिए भी एक युक्तियुक्त आधार होगा।
17. नैतिक आचरण और नैतिकता का पालन– पैनल अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वे कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले बालकों से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय बनाए रखेंगे। पैनलित अधिवक्तागण कार्य अनुसार संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नियत मानदेय प्राप्त करने के हकदार होंगे, लेकिन वे सेवा प्राप्तकर्ता से किसी भी तरह का पारिश्रमिक, शुल्क, लाभ व नकद राशि अथवा उपहार लेने व प्राप्त करने के हकदार नहीं है।
18. पैनल से निष्कासन– यदि अधिवक्ता का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है या किसी भी रूप में कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले या उसके संबंधी से किसी भी पारिश्रमिक मांग करता है अथवा लेता है आरोप में दोषी पाया जाता है तो रालसा के अधिनियम, नियम व विनियमों के अनुसार उसे पैनल से हटाया जा सकता है और वह वृत्तिक कदाचार (Professional Misconduct) की कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा।

01.4.21